



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-86/2015

नाथूदास उर्फ नाथुराम पुत्र स्व० चुन्नीदास जाति चमाररुं कामडरुं निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

- 1- गोरधनलाल पुत्र मोहनलाल कथित दत्तक पुत्र धन्नारामरुं मृतरुं
  - 1/1- सजना स्त्री गोरधनराम
  - 1/2- राजु पुत्र गोरधनराम
  - 1/3- मुकेश पुत्र गोरधनराम
  - 1/4- सीता पुत्री गोरधनराम
  - 1/5- मंजु पुत्री गोरधनराम
  - 1/6- मूनकी पुत्री गोरधनराम
- 2- श्रीकान्त पुत्र स्व० गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 3- हरका पटवारी ग्राम बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 4- तहसीलदार लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 5- राजस्थान राज्य द्वारा जिला कोक्टर, सीकर ।

---रेस्पोंडेन्ट्स---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री  
दिनांक 3-6-2015 द्वारा उप  
खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणागढ़ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणासिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 23.4.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व जमीन अधिकारी



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा व स्थाई निवेधाना का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बलारा की तन में आराजी ख०नं० 415/1 रकबा 0-56 हैक्टर १ 2 बीघा 4 बिस्वा १ अवस्थित है जो वादी को उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसकी खातेदारी बद्रा मु० छोटी बेवा धन्ना नायक के नाम से अंकित है। उक्त मु० छोटी का स्वर्णवास करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया। जिसके कोई जायन्दा पुत्र अथवा पुत्री नहीं है। प्रतिवादी सं०-1 द्वारा अपने आपको धन्नाराम व उक्त मु० छोटी का दत्तक पुत्र होना बताकर वादी के शान्ति पूर्वक कब्जा कारत में हस्तक्षेप करता हुआ अपना हक अधिकार प्रकट कर रहा है। जबकि पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय से बिना किसी बाधा के वादी का अपने पिता के समय से कब्जा कारत चलता आ रहा है। अतः उक्त आराजी पर वादी को खातेदार कारतकार घोषित किया जावे।

इसी आराजी बाबत दो अन्य मुकदमें दावा सं०- 186/2011। उनवानी गोविन्दराम बनाम नाथूदास एवं मु०नं० 2/2012 नाथूदास बनाम गोरधन लाल आदि विचाराधीन थे। इन दोनों मुकदमों को भी दावा संख्या-118/2011 के हमफिता किया जाकर तीनों मुकदमों का एक साथ निर्णय किया गया। जिसमें बाद सुनवाई वादीगण का दावा खारिज कर दिया। जिससे झुब्ध होकर तीन अपील अलग अलग पेश की गई। इन तीनों अपीलों की सुनवाई भी एक साथ ही की जाकर तीनों अपीलों का निर्णय भी एक साथ ही किया जा रहा है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

बहस बगौर समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत में दावा सं०- 186/2011 एवं दावा सं०-2/2012 को दावा सं० 118/2011 के साथ दिनांक 12-6-2012 को कन्सोलिडेट किया जाकर उक्त तीनों दावों की कार्यवाही दावा संख्या-118/2011 में की गई। दावा सं०-118/2011



आगामी पेशी 14-5-2015 नियत की गई । दिनांक 14-5-2015 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली में आगामी पेशी 9-7-2015 नियत की गई । किन्तु अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए नियत तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 3-6-15 को वादी की अनुपस्थिति में निर्णय कर दिया। इससे स्पष्ट है न तो वादी को तारीख पेशी से पूर्व दावे को कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना दी हो ऐसा कोई दस्तावेज है और न ही वादी को सुनवाई का अवसर दिया है । दावे में जबकि दावा भी नहीं आया तथा ना ही इसके आगे की विधिक प्रक्रिया को अपनाया गया है । अदालत मातहत ने दावे में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दावे का निर्णय किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अतः हम न्यायहित में प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह दावे में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिक प्रक्रियाओं की पालना करते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-6-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिषेधित किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये दावे में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-5-2018 को उपस्थित होंगे निर्णय की प्रति अपील सं० 87/2015 एवं 147/15 में खंडन की जावे।  
निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.4.2018 को सुनाया गया

  
§ भंबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर